भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3819
दिनांक 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं

†3819. श्रीराव राजेन्द्र सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास भारत में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए बनाए गए आपराधिक कानूनों के दृष्टिगत, मंत्रालय ने देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में और अधिक सीएफएसएल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (च): वर्तमान में देश में 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (सी.एफ.एस.एल.) हैं जो चंडीगढ़, दिल्ली, कामरूप, कोलकाता, भोपाल, पुणे और हैदराबाद में स्थित हैं। जम्मू में 99.9 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 08वीं सी.एफ.एस.एल. की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में 860.3 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 07 अतिरिक्त सी.एफ.एस.एल. की स्थापना का घटक शामिल है।राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल में इन 07 सी.एफ.एस.एल. की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।

देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु निर्भया वित्त पोषित योजना के तहत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 245.29 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

(ii) चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डी.एन.ए. विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित की गई है।

(iii) भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और कोलकाता स्थित केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया है।

(iv) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों को उन्नत किया गया है, जिसमें फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डी.एन.ए. फोरेंसिक विश्लेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान शामिल हैं।

(v) डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए हैदराबाद स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

(vi) ई-फोरेंसिक आई.टी. प्लेटफॉर्म शुरु किया गया है, जो देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को जोड़ता है।

(vii) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एन.एफ.एस.यू.) की स्थापना वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत, देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित न्यायालयिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए,की गई है। एन.एफ.एस.यू. का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इसके अलावा, एन.एफ.एस.यू. के परिसर दिल्ली, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं। एन.एफ.एस.यू. ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण अकादेमी भी स्थापित की हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में एन.एफ.एस.यू. के 09 अतिरिक्त ऑफ-कैंपस स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 1309.13 करोड़ रुपये है।

(viii) "फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण योजना" का 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया है। इसके तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान

सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण, देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना में अब तक, "राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन" के घटक हेतु 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 215 करोड़ रुपए और देश के प्रत्येक जिले और राज्य एफ.एस.एल. में मोबाईल फोरेंसिक वाहन प्रदान करने के घटक हेतु 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 344 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं।

(ix) "महिला सुरक्षा की व्यापक योजना" के तहत 126.84 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 06 अतिरिक्त राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु भी अनुमोदन दिया गया है।

(x) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

-एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य पद्धति मैनुअल।

- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के प्रयोजनार्थ यौन हमले के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और उन्हें लाने-ले जाने हेतु दिशानिर्देश।

-फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

(xi) सरकार ने फोरेंसिक डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यवस्थित रूप से संग्रहीत और प्रबंधित करने के लिए 200.16 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ "महिला सुरक्षा" की व्यापक योजना के तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है।

***